-1-

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर

1. सतीश तनय सीताराम पटैरिया
2. रंजना पुत्री सीताराम पटैरिया पत्नि अनिल पटैरिया
3. रश्मि पुत्री सीताराम पटैरिया पत्नि अजय दुबे
4. नीतू पुत्री सीताराम पटैरिया पत्नि मोहित रिछारिया
5. प्रीति पुत्री सीताराम पटैरिया पत्नि अनिल तिवारी

निवासी स्टेट बैंक मुख्य शाखा छतरपुर बेनीगंज
मुहल्ला छतरपुर जिला छतरपुर ....निगरानीकर्तागण

विरूद्व

म.प्र.शासन ....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त नामांकित निगरानीकर्ता न्यायालय श्रीमान् अपर कलेक्टर जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 14/अपील/बी–121//2015–16 में पारित आदेश दिनांक 05/04/16 से दुखित होकर निम्न आधारों सहित अन्य आधारों पर अपनी यह **निगरानी श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है :–**

1. यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बगौता स्थित भूमि खसरा क्र 1111/1/2/9 रकवा 0.943 हे. भूमि निगरानीकर्तागण की क्रयशुदा निजी स्थाई स्वत्व की भूमि है। राजस्व निरीक्षक डायवर्सन के गलत प्रेतिवेदन के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर द्वारा प्रकरण पंजीबद्व कर हुए बिना किसी जांच के मनमाने तौर पर अपना विधि विपरीत आदेश पारित किया है जिसके विरूद्व निगरानीकर्तागण द्वारा एक अपील अपर कलेक्टर छतरपुर के समक्ष प्रस्तुत की गयी जिसमें अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा अपना विधि विपरीत आदेश पारित किया गया है जिससे परिवेदित होकर निगरानीकर्तागण की यह निगरानी सशक्त आधारों पर श्रीमान् **के समक्ष प्रस्तुत है।**

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R/1717/2/16 ..... **जिला** छतरपुर .....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24-5-16	1– आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री नितेन्द्र सिंघई उपस्थित अनावेदक शासन पक्ष की ओर से पैनल अधिवक्ता उपस्थित उभय पक्ष के तर्क सुने। 2– मैनें प्रकरण का आवलोकन किया एवं उभय के तर्कों पर विचार किया गया। यह निगरानी अपर कलेक्टर छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 14/अपील/बी–121/2015–16 मे पारित आदेश दिनांक 05/04/16 के विरूद्व म0 प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा–50 के तहत प्रस्तुत की गयी है। 3– आवेदकगण की ओर तर्क में कहा गया है कि ग्राम बगौता स्थित भूमि खसरा क्रमांक 1111/1/2/9 रकवा 0.943 हे. भूमि उनके द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की गयी थी तथा राजस्व अभिलेख में उनका नाम दर्ज किया गया था। 4– आवेदकगण की ओर से तर्क दिया गया है कि राजस्व निरीक्षक के गलत प्रतिवेदन के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर द्वारा आवेदकगण की भूमि पर प्रबंधक अनुविभागीय अधिकारी लेख गया है जिसकी अपील आवेदकगण द्वारा अपर कलेक्टर छतरपुर के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी जिसे अपर कलेक्टर द्वारा गलत आधार पर निरस्त कर दिया गया है। 5– मैंने आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत तर्को के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश एवं प्रस्तुत अन्य दस्तावेजो तथा न्यायिक दृष्टांतो का अवलोकन किया। इसी भूमि के अन्य बंटांक के सबंध में एक व्यवहार वाद क्र 22ए/11 नरेन्द्र कुमार पटैरिया द्वारा चतुर्थ अपर जिला न्यायधीश छतरपुर के समक्ष प्रस्तुत किया था जिसमें दिनांक 18/12/14 को व्यवहार न्यायालय द्वारा अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के आदेश को विधि विपरीत एंव अधिकारिता रहित मान्य किया है तथा स्वंय इस न्यायालय द्वारा दिनांक 1/11/12 को इसी भूमि के अन्य बटांक के संबंध में ओदश पारित किया गया है। इस प्रकरण में यह भी स्पष्ट है कि आवेदकगण अब छतरपुर में निवासरत् नहीं	

R-1717.I/16 (छतरपुर)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभ. आदि के हस्ताक्षर
	है जिस कारण उनको भूमि विक्रय किए जाने से रोके जाने का कोई विधि सम्मत आधार नहीं है। 6— उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 05—04—2016 निरस्त करते हुए भूमि खसरा नंबर 1111/1/2/9 रकवा 0.943 हे0 पर राजस्व अभिलेख में प्रबंधक अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर विलोपित कर आवेदकगण का नाम दर्ज किया जाता है तथा आवेदकगण को उक्त भूमि के विक्रय की अनुमति दी जाती है। तदानुसार यह प्रकरण निराकृत किया जाता हैं प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	